



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235577
CG-DL-E-06052022-235577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]
No. 239]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

सीएमडी-2/जी-18.—भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के पैराग्राफ-5 के उप-पैराग्राफ 2 और ब्यूरो संख्या सीएमडी-2/ G-18 दिनांक 05 अगस्त, 2021, CMD-2/G-18 दिनांक 21 सितंबर, 2021 और CMD-2/G-18 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, की अधिसूचनाएं भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित, के अनुसरण में, ब्यूरो एतद्वारा उक्त अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

(क) ब्यूरो संख्या सीएमडी -2 / जी -18 दिनांक 05 अगस्त 2021 की अधिसूचना की "अनुसूची" में –

(i) क्रमांक 1339 के बाद, उससे संबंधित प्रविष्टियां, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रमांक.	भारतीय मानक संख्या	इकाई	बड़े स्तर के उद्यम	माइक्रो छोटे मझौले उद्यम	यूनिट दर स्लैब-1	स्लैब-1 मात्रा पर मान्य	यूनिट दर स्लैब-2	यूनिट -2 मात्रा पर लागू	शेष मात्रा के लिए स्लैब -3 यूनिट दरें	प्रभावी तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1340	IS/IEC 61331-3:2014	1 पीस	₹ 85000	₹ 68000	₹ 6.00	सभी	₹ 0.00	0	₹ 0.00	21042022

नोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 05 अगस्त 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 21 सितंबर, 2021, सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 17 दिसंबर, 2021, सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 22 फरवरी, 2022, सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 03 मार्च, 2022, और सीएमडी-2/जी-18 दिनांक 29 मार्च, 2022 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गयी है।

एच जे एस पसरिचा, उप महानिदेशक (प्रमाणन)

[विज्ञापन III/4/असा./54/2022-23]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2022

CMD-2/G-18.—In pursuance of sub-paragraph 2 of paragraph-5 of Scheme-I of Schedule-II of Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 and the notification of the Bureau number CMD-2/G-18 dated 05th August, 2021, the Bureau hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

(a) In the “SCHEDULE” of the notification of the Bureau number CMD-2/G-18 dated 05th August 2021 –

(i) after serial number 1339, the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Indian Standard Number	Unit	Large Scale Enterprises	Micro Small Medium Enterprises	Unit Rate SLAB-1	SLAB-1 applicable to Quantity	Unit rate SLAB-2	SLAB-2 applicable to Quantity	Unit rate SLAB-3 for remaining Quantity	Effective Date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1340	IS/IEC 61331-3:2014	1 PIECE	₹ 85000	₹ 68000	₹ 6.00	ALL	₹ 0.00	NIL	₹ 0.00	21042022

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Sec4, vide CMD-2/G-18 dated 05th August 2021 and subsequently amended vide CMD-2/G-18, dated 21st September, 2021, CMD-2/G-18 dated 13th October, 2021, CMD-2/G-18 dated 17th December, 2021, CMD-2/G-18 dated 22nd February, 2022, CMD-2/G-18 dated 03rd March, 2022, and CMD-2/G-18 dated 29th March, 2022.

H J S PASRICHA, Dy. Director General (Certification),

[ADVT.-III/4/Exty./54/2022-23]